

FORM No. III

फर्द अहकाम  
(नियम 20)

अज अदालत अति० जिला कलेक्टर मुकाम कोटा

गिरीराज

बनाम

नेशनल ऑथोरिटी वगै०

किस्म मुकदमा - प्रार्थना पत्र बाबत टाईटल में संशोधन हेतु धारा 152 सीपीसी

१०९०-२१/२०२२

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
<p>23-05-2022</p> <p>30/5/22</p>	<p>पत्रावली पेश हुई । वकील प्रार्थी उपस्थित । पत्रावली का अवलोकन किया । प्रार्थना पत्र ताउज मियाद दर्ज रजिस्टर किया जावे । अप्रार्थी को तलब किया जाकर मूल प्रकरण के साथ पत्रावली दिनांक 30.05.2022 को पेश हो।</p> <p>वकील प्रार्थी एवं NHAI के वकील उर्फ प्रार्थी द्वारा इनगत धारा 152 CPC के प्रकृति में अधिन विधा है कि उक्त इतवानी सवण के दिनांक 26-4-2022 को निबन्धि पास्ति हो चुका है। उक्त निबन्धि के अर्दर में प्रार्थी गिरीराज के पिता का नाम 'मैरुलाल' के स्थान पर मोहनलाल डेक्लि हो गया है। जिसे -यादगिर में उक्त विधा जागा आवश्यक है, इस बाबत NHAI के वकील द्वारा सहगारि हो गई है।</p> <p>इसके अलावा पत्रावली का अवलोकन मूल पत्रावली के इतवान में प्रार्थी गिरीराज के पिता का नाम 'मैरुलाल' के स्थान पर मोहनलाल डेक्लि हो गया है जिसे उक्त विधा जागा उचित है। अतः प्रार्थना पत्र इक्विपार विधा जाकर सर्व प्रकरण सं० 14/2022 निबन्धि दि० 26/4/2022 के इतवान में प्रार्थी गिरीराज के पिता का नाम 'मोहनलाल' के स्थान पर 'मैरुलाल' पदा जावे। तदनुसार मूल निबन्धि में नोट डेक्लि विधा जावे। प्रकृति पत्र के साथ प्रार्थना पत्र के अलावा अलावा विधा जाकर मूल पत्रावली के अंतर्गत डेक्लि हो।</p>	<p>आपकी नोटे</p>
	<p>जिला कलेक्टर कोटा</p>	